INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS

VOLUME 2, ISSUE 8, AUGUST 2014

ISSN-2320-2882

ORIGINAL ARTICLE

''मादक पदार्थों का सेवन करने वाले परिवारों के किशोर विद्यार्थियों के समायोजन का अध्ययन''

डॉ. अनिल कुमार श्रीवास्तव
(प्राचार्य)
महाराजा सूरजमल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, भरतपुर (राज.)

शीला सिंह
शोधार्थी
पेसिफिक एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एण्ड रिसर्च यूनिवर्सिटी, उदयपुर (राज.)

शोध सार :–

मादक पदार्थों का सेवन करने वाले सामान्य व अनुसूचित जाति के परिवारों के विद्यार्थियों के सामाजिक व शैक्षिक समायोजन में क्या कोई अन्तर पाया जाता है ? प्रस्तुत शोध इसी उद्देश्य को लेकर किया गया है जिसमें पाया गया कि राजस्थान के भरतपुर जिले के मादक पदार्थों का सेवन करने वाले सामान्य व अनुसूचित जाति के परिवारों से आने वाले विद्यार्थियों के शैक्षिक व सामाजिक समायोजन में जाति के आधार पर कोई अन्तर नहीं पाया जाता है।

प्रस्तावना :–

मनुष्य इस सृष्टि का एक विचित्र प्राणी है। जिसके जीवन में आनन्द है तो दुःख भी है, अमृत है तो विष भी है। यह विचित्र बात है कि मनुष्य ने अपने स्वास्थ्य के लिये अनुकूल खाद्य पदार्थों या पेय पदार्थों का आविष्कार किया है तो कुछ ऐसे पदार्थ भी उसने खोज निकाले है जो उसके लिये स्वास्थ्य की दृष्टि से नितान्त अहितकर है। ऐसे पेय पदार्थ मादक द्रव्यों के रूप में जाने जाते हैं।

उच्च वर्ग के स्त्री पुरूष अपनी शान शौकत के लिये तथा निम्न वर्ग अपनी थकान मिटाने के लिये या मनोरंजन के लिये मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। बालक जब अपने माता–पिता को शराब के नशे में आते हुए देखता है तो वह डर जाता है, चूँकि बालक का मन व मस्तिष्क कोमल होता है जो इन बातों से जल्दी कुंठित होकर विचलित होने लगता है। उसमें संवेगात्मक अस्थिरता होने लगती है। यह

स्थिति किशोरावस्था तक अपनी चरम सीमा तक पहुँच जाती है और बालक का मन विचलित होकर गलत रास्ते पर जाने लगता है। यदि हम अपने देश का भविष्य उज्जवल बनाना है तो आने वाली पीढ़ीयों को इन मादक पदार्थों से कोसों दूर रखना होगा तथा इन घातक पदार्थों को जड़ मूल से नष्ट करना होगा। तभी यह देश व समाज आगे बढ़ पायेगा।

किशोर विद्यार्थियों के शैक्षिक व सामाजिक समायोजन पर उनके सामान्य या अनुसूचित जाति के होने के क्या प्रभाव पड़ता है ? प्रस्तुत शोध कार्य के इसी विषय पर अध्ययन किया गया है।

सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन : –

शोधार्थी ने विभिन्न शोध अध्ययनों का अध्ययन किया। जिसमें विद्यार्थियों के समायोजन का अध्ययन किया गया था।

सिंह के. आर. (2011), ने उच्चतर माध्यमिक माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के शैक्षिक उपलब्धि व समायोजन का अध्ययन किया। जिसमें उन्होंने पाया कि छात्रों का शैक्षिक समायोजन छात्राओं की तुलना में उच्च पाया गया तथा जाति के आधार पर विद्यार्थियों के सामाजिक समायोजन में कोई अन्तर नहीं पाया गया।

ओ0 पी0 मल्होत्रा (2011), ने नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले अनुसूचित जाति व जनजाति के किशोरों के सामाजिक समायोजन का अध्ययन किया और पाया कि नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले अनुसूचित जाति व जनजाति के किशोर बालक पारिवारिक व सामाजिक समायोजन कम होने के कारण नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं तथा नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले अनुसूचित जाति व जनजाति के किशोरों के समायोजन के मध्य सह–सम्बन्ध में सार्थक अन्तर नहीं होता है।

शोध की आवश्यकता का महत्व :–

शोध एक सोद्देश्य एवं विचारशील प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य ज्ञान को विकसित एवं परिमार्जित कर उपयोगी बनाना है। वर्तमान युग में मादक पदार्थों का सेवन उत्तरोत्तर तीव्र गति से बढ़ रहा है। मादक पदार्थों के सेवन की समस्या व्यक्तिगत न होकर सामाजिक समस्या हो गई है। जिन परिवारों में मादक पदार्थों का सेवन किया जाता है। वहाँ के किशोर विद्यार्थी न तो परिवार में, न ही अपने विद्यालय में और न ही समाज में समायोजन कर पाते हैं।

मादक पदार्थों का सेवन करने वाले व्यक्तियों पर अनेक अध्ययन हुए हैं। लेकिन मादक पदार्थों का सेवन करने वाले माता–पिता के किशोर विद्यार्थियों के समायोजन व आत्मसंबोध तथा किशोर स्वयं अपने बारे में क्या धारणा रखता है ? इसके सम्बन्ध में विशेष कार्य नहीं हुआ है। अतः प्रस्तुत शोध इसी विषय पर आधारित है।

शोध उद्देश्य :–

1. मादक पदार्थों का सेवन करने वाले सामान्य व अनुसूचित जाति के परिवारों के छात्रों के शैक्षिक समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन करना।

2. मादक पदार्थों का सेवन करने वाले सामान्य व अनुसूचित जाति के परिवारों की छात्राओं के शैक्षिक समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन करना।

शोध विधि :–

प्रस्तुत शोध में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

न्यादर्श :–

प्रस्तुत शोध में न्यादर्श के रूप में राजस्थान प्रान्त के भरतपुर जिले के मादक पदार्थों का सेवन करने वाले सामान्य व अनुसूचित जाति के 300 परिवारों के 600 छात्र व छात्राओं का निम्नांकित रूप से यादृच्छिक विधि द्वारा चयन किया गया है।

चयनित न्यादर्श का विवरण –

क्र. स.	क्षेत्र	योग
1.	मादक पदार्थों का सेवन करने वाले सामान्य जाति के परिवार	150
2.	मादक पदार्थों का सेवन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवार	150
	कुल परिवार	300

क्र. स.	क्षेत्र	योग
1.	सामान्य जाति के किशोर छात्र	150
2.	सामान्य जाति की किशोर छात्रायें	150
3.	अनुसूचित जाति के किशोर छात्र	150
4.	अनुसूचित जाति की किशोर छात्रायें	150
	कुल छात्र व छात्रायें	600

उपकरण :–

शोधार्थी ने शोधकार्य हेतु दत्त संकलन के लिये डॉ. ए. के. पी. सिन्हा एवं डॉ. आर. पी. सिन्हा की समायोजन सूची का प्रयोग किया। जिसकी विशवसनीयता 0.90 ज्ञात हुई।

क्रिया विधि :–

इस समायोजन सूची में 60 प्रश्न दिये गये हैं और प्रश्न के सामने ''हाँ'' तथा ''नही'' लिखा हुआ है। सर्वप्रथम उक्त प्रश्नावली को विभिन्न विद्यालयों के छात्र–छात्राओं को दिया गया। उत्तरदाता इच्छानुसार ''हाँ'' अथवा ''नहीं'' एक पर चिन्ह् बना देता है और परीक्षणकर्त्ता इस ''हाँ'' अथवा ''नहीं'' को मैंनुअल की मापन सारणी से मिलाकर उसके आधार पर शुद्ध अथवा अशुद्ध उत्तर की गणना करता है। प्राप्तांकों का योग करके हर क्षेत्र का समायोजन स्तर निकाला जाता है। परीक्षण के उपरान्त जिस विषय में जितने कम अंक होंगे उसका समायोजन उतना ही उत्तम होगा। इस परीक्षण के आधार पर विषय का वर्गीकरण समायोजन के विभिन्न स्तरों पर तालिका द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है।

समायोजन श्रेणी	समायोजन स्तर	प्राप्तांक सीमा
(अ)	अत्यधिक उत्तम	5 से कम
(ब)	उत्तम	6 से 12
(स)	सामान्य	13 से 21
(द)	असन्तोश	22 से 30
(य)	अति असन्तोशप्रद	31 से ऊपर

सांख्यिकी तकनीकी :–

समायोजन प्रश्नावली के माध्यम से संग्रहित किये गये प्रदत्तों का सारणीयन किया गया। तत्पश्चात् मध्यमान प्रमाणिक विचलन एवं टी परीक्षण का उपयोग प्रदत्तों का विश्लेशण करने हेतु किया गया।

सारणी संख्या – 1 प्रदत्तों का विश्लेशण एवं व्याख्या

क्र.स.	परिवार	विद्यार्थी	कुल संख्या	मध्यमान	प्रमाप विचलन	टी–अनुपात	सार्थक स्तर
1	सामान्य	छात्र	150	9.7	3.16	0.58	2.00

2	अनुसूचित	छात्र	150	9.46	5.05		

df = 300

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि df = 300 के लिए टी–मूल्य 0.58 प्राप्त हुआ है। जो कि त्रुटि के 0. 05 स्तर पर इसके अपेक्षित मान 2.00 से कम है। इसका तात्पर्य यह है कि दोनों समूहों में सार्थक अन्तर नहीं है।

सारणी संख्या – 2

क्र.स.	परिवार	विद्यार्थी	कुल संख्या	मध्यमान	प्रमाप विचलन	टी–अनुपात	सार्थक स्तर
1	सामान्य	छात्राएँ	150	13.83	1.67	1.4	2.00
2	अनुसूचित	छात्राएँ	150	12.83	3.89		

df = 300

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि df = 300 के लिए टी–मूल्य 1.4 प्राप्त हुआ है। जो कि त्रुटि के 0. 05 स्तर पर इसके अपेक्षित मान 2.00 से कम है। इसका तात्पर्य यह है कि दोनों समूहों में सार्थक अन्तर नहीं है।

निष्कर्ष :–

1. मादक पदार्थों का सेवन करने वाले सामान्य व अनुसूचित जाति के किशोर विद्यार्थियों में शैक्षिक समायोजन में जाति के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं दिखाई देता है।

2. मादक पदार्थों का सेवन करने वाले सामान्य व अनुसूचित जाति के किशोर विद्यार्थियों में सामाजिक समायोजन में जाति के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं दिखाई देता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. Duggal, Janak. 1993. “Access of Scheduled Caste Girls to Elementary Education in Rural Haryana: A Study of Socioeconomic Problems in Universalisation Of

Elementary Education". An unpublished Ph.D. Thesis. Faculty of Education. New Delhi : Jamia Millia Islamia.

2. Travers, R.N.W. (1969), "An Introduction of Educational Research" New Delhi, Sterline Publisher Pvt. Ltd.
3. Kapil H.K. (1985)' "Research Method in Behavioural Science", Agra : Bhargava Book House.
4. एम. डब्ल्यू ट्रैवर्स : ''मेथडस ऑफ एजुकेशनल रिसर्च'', न्यूयार्क 1919, मैकमिलन कम्पनी लिमिटेड।
5. पाण्डेय, गणेश : ''सामाजिक अनुसंधान सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी'' राधा पब्लिकेशन, 2004।
6. शर्मा, बी. एन. : ''अधिगमकर्त्ता का विकास'', साहित्य प्रकाशन, आगरा।
7. मिश्र, डॉ.पी.सी. : ''विकासात्मक मनोविज्ञान'', साहित्य प्रकाशन, आगरा।
8. सैनी, डा. बी. एल. : ''शिक्षा मनोविज्ञान'', स्वाति प्रकाशन, जयपुर।
9. सक्सैना, सरोज : ''शिक्षा सिद्धान्त'', साहित्य प्रकाशन, आगरा।
10. त्यागी, डॉ. नीता : ''नैतिक शिक्षा'', साहित्य प्रकाशन, आगरा।